<u>न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट (म.प्र.)</u> पीठासीन अधिकारी-रामजी लाल ताम्रकार

<u>व्यवहार वाद कमांक 33ए/2016</u> प्रस्तुति दिनांक-03.06.2016

प्रतिवादीगण।

लक्ष्मण पिता नारायण तिडके, उम्र 65 वर्ष, जाति कलार, निवासी ग्राम लांजी, थाना एवं तहसील लांजी, जिला बालाघाट -:: <u>बनाम</u> ::-1— भरतलाल पिता नारायण तिड्के उम्र 60 वर्ष, जाति कलार, निवासी ग्राम लांजी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट। 2- श्रीमती खुसलीबाई पिता नारायण (मृत) -::विधिक प्रतिनिधि-वारसानः:-2.अ— श्रीमती सुशीलाबाई पति देवराम सोनवानी, उम्र 50 वर्ष, कलार, निवासी वा.नं.15, नगर पंचायत—तह0 लांजी, जिला बालाघाट। 2.ब— तिलक पिता परसराम आसटकर, उम्र 52 वर्ष, जाति कलार, निवासी नर्मदा नगर वा.नं.22, बालाघाट, तह0-जिला बालाघाट। 2.स- गिरीश पिता परसराम आसटकर, उम्र ४८ वर्ष, जाति कलार, निवासी ग्राम बिसोनी, वा.नं.2, तह0-लांजी, जिला बालाघाट। 2.द- श्रीमती रेखाबाई पति भोजराज, उम्र 45 वर्ष, जाति कलार, निवासी ग्राम गोर्र, तहसील सालेकसा, जिला गोंदिया(महा०)। 2.इ— नरेश पिता परसराम आसटकर, उम्र 44 वर्ष, जाति कलार,

—::: <u>आदेश</u> :::— (आज दिनांक 23/09/2017 को पारित)

निवासी वा.नं.22, नर्मदा नगर बालाघाट, तह0—जिला बालाघाट।

3— मध्य प्रदेश शासन कलेक्टर बालाघाट, तहसील एवं जिला

01— इस आदेश द्वारा वादी की की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

बालाघाट

- वादी के द्वारा एक दावा वास्ते अंश की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् ग्राम लांजी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट में स्थित भूमि जिसे खसरा नंबर 208 / 1, 444 / 1, 444 / 6 रकबा क्रमशः 0.125 हेक्टेयर, 0.105 हेक्टेयर, 0.445 हेक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत किया है तथा प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपिठत धारा 151 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वादी का दावा प्रथम दृष्ट्या सबल एवं सारवान है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में है, प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में 1/3 हिस्से के मुताबिक भूमि का बंटवारा करा पाने हेतु धारा 178 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अधीन तहसील न्यायालय में रा.प्र.क.-35/अ-27/13-14 भरतलाल वि० लक्ष्मण एवं अन्य के नाम से प्रस्तृत किया गया है। वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होना बताया गया है। वाद पत्र में नारायण के रास्ते से सिजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। नारायण की मृत्यू वर्ष 1986 में होना बताया गया है। ऐसा भी उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 208/2 रकबा 0.125 हेक्टेयर पर पैतृक दो कच्चे एवं एक पक्का मकान निर्मित होना बताया गया है। राजस्व न्यायालय के समक्ष मकान होने की स्थिति को छिपाकर बंटवारा की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में अगर तहसील न्यायालय द्वारा 1/3 – 1/3 के मुताबिक भूमि का बंटवारा कर दिया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, वादी का वाद प्रस्तुत करने का औचित्य समाप्त हो जावेगा।🕵
- 03— प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का जबाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि व्य.वा.क.—125ए/02, लक्ष्मण वि0 भरतलाल के नाम से एक दीवानी दावा प्रस्तुत किया गया था जो कि दीवानी दावा आदेश दिनांक 1.11.2002 के मुताबिक निरस्त किया जा चुका है उसकी अपील कमांक—1ए/03 भी निरस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती वाद इस मामले में प्रांग्ड न्याय की भांति प्रवर्तित होगा। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।
- 04- आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :--
 - (1)— क्या वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है ?

- (2)— सुविधा का संतुलन ?
- (3)— अपूर्णीय क्षति ?

विचारणीय प्रश्न कमांक का निराकरण :-

-::: <u>विवेचन एवं निष्कर्ष</u> :::-**क मांक-1 का निराकरण**में वादी की ^`
-35 ^ प्रकरण में वादी की ओर से न्यायालय नायब तहसीलदार लांजी के 05-समक्ष चल रहे रा.प्र.क.-35/अ-27/13-14 पक्षकार भरतलाल वि० लक्ष्मण के नाम से धारा 178 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अधीन चल रही कार्यवाही के संबंध में आदेश पत्रिका दिनांक 22.5.2014 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिससे यह प्रकट होता है कि मामले की कार्यवाही जारी है। उक्त कार्यवाही प्रस्तुत बंटवारा बाबत आवेदन एवं सूचना पत्र की प्रति, इश्तहार की प्रति एवं ज्ञापन की प्रति प्रस्तुत की गई है। वादी की ओर से जो राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उसमें नक्शा की सत्यप्रतिलिपि एवं खसरा पांचसाला वर्ष 2014—15 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसमें खसरा नंबर-441/2 रकवा 0.125 हेक्टेयर पर कुऑ एक पक्का एवं मकान काबिज खुद का उल्लेख है। राजस्व अभिलेखों में भूमि वादी लक्ष्मण, प्रतिवादी कमांक-1 भरतलाल एवं प्रतिवादी कमांक-2-अ से लेकर कमांक-2-इ तक कुल 05 लोग सह-खातेदार बहन खुसलीबाई के वारिसान हैं। किश्तबंदी की सत्यप्रतिलिपि समरूप है। वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होना बताया गया है, परन्तु इस संबंध में पिता नारायण के पूर्व उक्त भूमि किसके नाम पर थी, पिता नारायण को कैसे प्राप्त हुई, इस संबंध में वादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

प्रतिवादी की ओर से व्यवहार वाद क्रमांक-56ए/99, लक्ष्मण वि० 06-भरतलाल वगैरह के नाम से प्रस्तुत घोषणात्मक दावा की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जवाबदावा की भी सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। निर्णय दिनांक 1.11.2002 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जो कि दावा निरस्त हुआ था जिसकी अपील लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो कि अपील क्रमांक-15ए/03, निर्णय दिनांक 29.10.2004 के मुताबिक निरस्त की गई। पूर्ववर्ती वाद में वादग्रस्त भूमि यही थी।

- 07— यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए और दावे में सभी तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए। परन्तु वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें पूर्ववर्ती दावा पेश करने की स्थिति, उसके अपील का परिणाम एवं उसमें दिए गए निष्कर्ष का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह से स्पष्ट है कि वादी ने दावा स्वच्छ अंतःकरण से पेश नहीं किया है। जहाँ तक खसरा नंबर—441/2 स्कबा 0.125 हेक्टेयर पर कुऑ एक पक्का एवं मकान काबिज खुद, की स्थिति है इस संबंध में तहसील न्यायालय को अवगत कराया जा सकता है। वैसे भी हल्का पटवारी जब फर्द बंटवारा पेश करेगा तो उसमें उक्त तथ्य को समाहित करेगा अगर वह समाहित नहीं करता तो वादी लक्ष्मण मौंके की स्थिति के संबंध में अपनी आपित्त मौंके के छायाचित्र के साथ पेश कर सकता है एवं उस संबंध में साक्ष्य भी पेश कर सकता है। वैसे भी धारा 178 म0प्र0भू०रा०संहिता के अधीन केवल कृषि भूमि के बंटवारे की कार्यवाही तहसीलदार या नायब तहसीलदार के न्यायालय में चलती है। जिस भूमि में मकान या कुआं होने की स्थिति होती है उसे बंटवारा कार्यवाही से पृथक कर दिया जाता है।
- 08— आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ यह भी उल्लेख कर देना उचित होगा कि पक्षकारों के बीच चले पूर्ववर्ती दीवानी दावे में जिसका व्य.वा.क.—56ए / 99 लक्ष्मण वि० भरतलाल वगैरह का मामला था, उसमें वादग्रस्त जमीन वही थी जो इस मामले में है, पक्षकार भी कमोवेश वही थे जो इस मामले में है। पूर्ववर्ती मामले में खुसलीबाई जीवित थी अब मृत हो चुकी है इसलिए इस मामले में उसके वारिसानों को पक्षकार बनाया गया है। राजस्व अभिलेखों में दोनों भाई एवं बहन का सम्मिलित नाम है। सम्मिलित खाते की कृषि भूमि में आवेदक पक्ष बंटवारा की मांग तहसील न्यायालय में कर सकता है उस दौरान मोंके में मकान इत्यादि की स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया जा सकता है क्योंकि पूर्ववर्ती मामले में स्वत्व की मांग की जा चुकी है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती मामले में अंश के नाम से घोषणात्मक दावा निश्चित ही प्रांग्ड—न्याय से प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में वादी का यह वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान होना नहीं पाया जाता।
- 09— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1 के संबंध में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान नहीं है।

विचारणीय प्रश्न कमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-

जहाँ तक प्रश्न सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का है तो स्वीकृत रूप से राजस्व अभिलेखों में भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 तथा बहन खुसलीबाई के नाम पर सम्मिलित खाते में दर्ज है तो फिर जबिक पूर्ववर्ती व्यवहार वाद इन्हीं भूमियों के संबंध में पेश होकर निर्णीत हो चुका है। अपील में भी उक्त निर्णय की पुष्टि हुई है ऐसी स्थिति में इस पश्चात्वर्ती वाद में "साम्या वादी के पक्ष में न होने से" सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू वादी के पक्ष में आकर्षित नहीं होता है। परिणामतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 व 3 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में नहीं है।

उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपिठत धारा 151 व्य.प्र.सं. स्वीकार योग्य न पाए जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित

(रामजी लाल ताम्रकार) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, HIFFER STREET & STREET WITHOUT बालाघाट (म.प्र.)

(रामजी लाल ताम्रकार) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बालाघाट (म.प्र.)